राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2018/1439 दिनांकः– 23/3/18

कार्यालय आदेश

मण्डल की 235वीं बैठक के बिन्दु संख्या 235.5 दिनांक 08.02.18 के निर्णयानुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड/प्लिन्थ स्तर के आवासीय भूखण्ड/स्केलटन/ संस्थागत भूमि आवंटन की शर्तोंनुसार के पश्चात 2 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब अवधि बढाने के संबंध में वर्तमान में प्रचलित नियमों में निम्नानुसार संशोधन कर विस्तृत आदेश जारी कर के सक्षम स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

1. आवंटन/कब्जा प्राप्ति की तिथि से एक दिन से दो वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर एक प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आवासन आयुक्त,आवासन मण्डल की स्वीकृति से विलम्ब अवधि बढाई जा सकती है।
2. दो वर्ष एक दिन से आठ वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 2 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आवासन आयुक्त,आवासन मण्डल की स्वीकृति से विलम्ब अवधि बढाई जा सकती है।
3. आठ वर्ष के पश्चात् एक दिन से बारह वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 3 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल की सक्षम स्वीकृति से निर्माण अवधि बढाई जावे।
4. 12 वर्ष के पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढाने के संबंध में संचालक मण्डल,आवासन मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

अतः पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/768 दिनांक 12.08.2013 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डा0 पी0बी0 यशवन्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/(मु.)राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त–........... जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–.......... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी,/नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

pc-2/F\desktop newly/Office work/Office Order-2015